

नए भारत की नींव-राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

मीना (प्राध्यापक),
मोनिका शर्मा (विद्यार्थी)

जीवन में शिक्षा के महत्व को देखते हुए वर्तमान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नए बदलावों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी। इससे पूर्व 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। नई शिक्षा नीति को प्रस्तुत करते हुए शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा—‘देश के प्रधानमंत्री ने एक नए भारत के निर्माण की बात की है—जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा। उस नए भारत के निर्माण में यह नई शिक्षा नीति 2020 मील का पथर साबित होगी।’ आगे फिर उन्होंने कहा—‘यह शिक्षा नीति ज्ञान-विज्ञान, अनुसंधान नवाचार, प्रौद्योगिकी से युक्त संस्कारक्षम, मूल्यपरक, हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली, पूरी दुनियाँ के लिए, भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर करके आएगी।’

शिक्षा नीति किसी भी राष्ट्र की मूलभूत आवश्यकता होती है। जिसमें अतीत का विश्लेषण, वर्तमान की आवश्यकता तथा भविष्य की संभावनाएँ निहित होती हैं।

“विद्या वितर्के विज्ञानं सृतिः तत्परता क्रिया।
यस्यैते षड्गुणास्तस्य नासाध्यमतिवर्तते!!”

नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य भाषा दक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव, सौंदर्य बोध, नैतिक तर्क, डिजिटल साक्षरता, भारत बोध और चेतना का विकास करना है। साथ ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा में सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं को महत्व, पाठ्यक्रम को और अधिक गुणवत्तायुक्त, लचीला/एकीकृत और मूल्यांकन परक करने की बात कही गई है।

नई शिक्षा नीति, भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित होने के साथ-साथ, भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति एवं भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन, पुनर्स्थापन एवं प्रसार पर जोर देती है, जिससे यह भारत को एक समर्थ, गौरवशाली, आत्मनिर्भर बनाने में निश्चय ही प्रमुख भूमिका निभाएगी।

(सफदर हाशमी का यह मशहूर गीत न केवल जीवन में शिक्षा की आवश्यकता बल्कि उसके महत्व को भी रेखांकित करता है।)

पढ़ो, लिखा है दीवारों पर मेहनतकश का नारा
पढ़ो, पोस्टर क्या कहता है, वो भी दोस्त तुम्हारा

पढ़ो, अगर अंधे विश्वासों से पाना है छुटकारा
पढ़ो, किताबें कहती हैं सारा संसार तुम्हारा

भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि शिक्षा नीति बनाने के लिए देश की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें, 6600 ब्लॉक और 650 जिलों से विचार लिए गए। इसमें शिक्षाविदों, अध्यापकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों एवं व्यापक स्तर पर छात्रों से भी सुझाव लेकर उनका मंथन किया गया। जन आकांक्षाओं के अनुरूप एवं राष्ट्रीय आवश्यकता और चुनौतियों के अनुरूप नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा—‘यह शिक्षा के क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित सुधार है, जिससे लाखों लोगों का जीवन बदल जाएगा। एक भारत-श्रेष्ठ भारत पहल के तहत इसमें संस्कृत समेत भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।’

नई शिक्षा नीति के कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं—

शिक्षा मंत्रालय : इस नई शिक्षा नीति के संबंध में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए रमेश पोखरियाल और प्रकाश जावडेकर ने बताया कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रहेगा क्योंकि यह मंत्रालय शिक्षित करने और शिक्षा देने का ही है।

शिक्षा व्यवस्था के चार प्रमुख आयामों को रेखांकित किया गया है—विद्यार्थी, अध्यापक, पाठ्यक्रम और ढाँचागत सुविधाएँ।

मातृभाषा में पढ़ाई

अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में मातृभाषा का विशेष महत्व होता है। जिससे बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है और उसके सीखने की गति भी बढ़ती है। मनोविज्ञान के अनुसार बालक अपनी मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में सरलता एवं शीघ्रता से सीखता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में भाषाई विविधता को महत्व दिया गया है—

1. नई शिक्षा नीति के अनुसार-पाँचवीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे कक्षा आठ या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। बाकी विषय चाहे वह अंग्रेजी में ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर ही पढ़ाया

- जाएगा। इससे विद्यार्थियों को सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जोड़े रखा जाएगा।
2. 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अँगनवाड़ी / बालवाटिका / प्री-स्कूल के माध्यम से मुफ्त सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण होगी।
 3. प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी।

नई शिक्षा नीति स्वामी विवेकानंद, रविंद्र नाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन पर आधारित है। जिससे विद्यार्थियों को जहाँ तक संभव हो प्रत्यक्ष स्वोत से ज्ञान प्राप्ति का मौका मिलेगा।

(5+3+3+4) एक नई व्यवस्था : इस नई शिक्षा नीति में 10 + 2 के ढाँचे की जगह 5+3+3+4 नई पाठ्यक्रम संरचना को लागू किया जाएगा जो क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14, 14-18 उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3-6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है। जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है।

नई प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ-12 साल की स्कूली शिक्षा और तीन साल की अँगनवाड़ी होगी। इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए तीन साल की प्री-प्राइमरी और पहली तथा दूसरी कक्षा को रखा गया है। अगले स्टेज में तीसरी, चौथी और पाँचवीं कक्षा को रखा गया है। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी 6-8 कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। सभी छात्र केवल तीसरी, पाँचवीं और आठवीं कक्षा में परीक्षा देंगे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन बच्चों के समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख (समग्र विकास के लिए कार्य-प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) एक मानक-निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। अँगनवाड़ी / बालवाटिका और प्री-स्कूल के माध्यम से मुफ्त सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संकल्पना है।

1. छठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स, इंटर्नशिप करवाई जाएगी। म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा।
2. उच्च शिक्षा में भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं। अगर कोई छात्र दूसरे कोर्स में जाना चाहता है तो निश्चित समय तक ब्रेक लेकर जा सकता है।
3. रिसर्च करने वाले छात्रों के लिए चार साल की डिग्री और नौकरी करने वालों के लिए तीन साल की डिग्री। ई-पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे। पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ, मुफ्त शिक्षा का प्रावधान कर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन : पाठ्यक्रम और मूल्यांकन नई शिक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण आयाम हैं, जिसमें पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने और छात्रों के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना है। जिसमें व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ इंटर्नशिप भी होगी।

1. इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्यतंत्र गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।
2. कक्षा-6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा के साथ-साथ इंटर्नशिप (Internship) की भी व्यवस्था की जाएगी।
3. ‘राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद’ (National Council of Educational Research and Training-NCERT) द्वारा ‘स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा’ (National Curricular Framework for School Education) तैयार की जाएगी।
4. छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा-10 और कक्षा-12 की परीक्षाओं में बदलाव के रूप में भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।
5. छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक-निर्धारक निकाय के रूप में ‘परख’ (PARAKH) नामक एक नए ‘राष्ट्रीय आकलन केंद्र’ (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी।
6. छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ (Artificial Intelligence-A I) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग।

भाषाई विविधता का संरक्षण

NEP-2020 में कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

शारीरिक शिक्षा-विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेल-कूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम वैग्रह में भाग ले सकें।

शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार :

1. शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। उनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था रहेगी और समय-समय पर किए गए कार्य-प्रदर्शन आकलन के आधार पर उनकी पदोन्नति का प्रावधान रहेगा।

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 2022 तक 'शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (National Professional Standards for Teachers-NPST) का विकास किया जाएगा।
3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा' [National Curriculum Framework for Teacher Education-NCFTE] का विकास किया जाएगा।
4. वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान- NEP-2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' (Gross Enrolment Ratio) को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।

NEP-2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एकिजट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा (1 वर्ष के बाद प्रमाण-पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक)।

विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक 'एकेडमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट' (Academic Bank of Credit) दिया जाएगा, ताकि अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग-नई शिक्षा नीति (NEP) में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक अर्थात् भारतीय उच्च शिक्षा परिषद् (Higher Education Commission of India-HECI) की परिकल्पना की गई है जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय (Single Umbrella Body) के रूप में कार्य करेगा।

HECI के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु चार निकाय :

1. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद् (National Higher Education Regulatory Council-NHERC) : यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक नियामक का कार्य करेगा।
2. सामान्य शिक्षा परिषद् (General Education Council-GEC) : यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढाँचा तैयार करेगा। अर्थात् उनके मानक निर्धारण का कार्य करेगा।

3. राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद् (National Accreditation Council-NAC) : यह संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा।
4. उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद् (Higher Education Grants Council-HGFC) : यह निकाय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिए वित्तपोषण का कार्य करेगा।

विकलांग बच्चों हेतु प्रावधान

आज भारतवर्ष में दिव्यांग विकलांग छात्रों की एक बड़ी संख्या है। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना भी सरकार का दायित्व है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु नई शिक्षा-नीति शिक्षण सामग्री और आधारभूत ढाँचा तैयार करने पर बल देती है।

इस नई नीति में विकलांग बच्चों के लिए क्रास विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपर्युक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जाएगा।

डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान-

1. एक स्वायत्त निकाय के रूप में "राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच" (National Educational Technology Forum) का गठन किया जाएगा जिसके द्वारा शिक्षण, मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान-प्रदान किया जा सकेगा।
2. डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिए अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा जो डिजिटल बुनियादी ढाँचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वयन का कार्य करेगी।

पारंपरिक ज्ञान-संबंधी प्रावधान-भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ, जिनमें जनजातीय एवं स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे, को पाठ्यक्रम में सटीक एवं वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा।

विशेष बिंदु

1. आकांक्षी जिले (Aspirational districts) जैसे क्षेत्र जहाँ बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं, उन्हें 'विशेष शैक्षिक क्षेत्र' (Special Educational Zones) के रूप में नामित किया जाएगा।
2. देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सभी लड़कियों और द्रासंसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक 'जेंडर इंक्लूजन फंड' (Gender Inclusion Fund) की स्थापना करेगा।

3. गौरतलब है कि 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढाँचे का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया जाएगा।

वित्तीय सहायता-एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986-इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था। इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ‘ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड’ लॉन्च किया। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ‘ओपन यूनिवर्सिटी’ प्रणाली का विस्तार किया। ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ‘ग्रामीण विश्वविद्यालय’ मॉडल के निर्माण के लिए नीति का आव्यान किया गया।

शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों?

शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। स्वामी विवेकानन्द का कहना था कि मनुष्य की अंतिनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। जरूरी हो जाता है कि पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन कर उसे किसी प्रकार एक नए बदलाव के रूप में रखा जाए।

सबसे अहम् बात बदलते वैशिक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में सुधार, नवाचार और अनुसंधान की नई तकनीकियों को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैषिक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैशिक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

डॉ. वेदप्रकाश जी के अनुसार :

नई शिक्षा नीति का लागू होना शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक, साहसिक एवं दूरगामी दृष्टिकोण का कार्य है। इसके लिए उन्होंने शिक्षा मंत्रालय एवं मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक को बधाई दी। उन्होंने नई शिक्षा नीति से संबंधित मुख्य बातों को दोहराते हुए कहा कि इस नीति को लागू करने के लिए मंत्रालय द्वारा रोडमैप भी तैयार किया गया है, जिसमें नीति के सभी प्रावधानों को लागू करने की एक समय सीमा तय की गई है। करीब 75 फीसद प्रावधानों को 2024 तक लागू करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार बचे हए प्रावधान भी वर्ष 2035 तक चरणबद्ध तरीके से

लागू किए जाएँगे। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित की जाएगी, जो केंद्र और राज्यों के बीच नीति के अपल पर हर साल समीक्षा करेगी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि-आज भारत ज्ञान-विज्ञान, सूचना-प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कौशल के आधार पर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संकल्पित किया जा चुका है। ऐसे में नई शिक्षा नीति प्रभावी होगी और यह नए भारत की नींव सिद्ध होगी।

संदर्भ :

प्राध्यापक-डॉ. मीना, सहायक प्रोफेसर
गार्गी कॉलेज, हिंदी विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय

विद्यार्थी-मोनिका शर्मा, हिंदी ऑनस
गार्गी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय